जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 04.05.2025

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 158/2025 धारा 64(1), 333 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सूरज पुत्र कन्हैयालाल निवासी करहना थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनाँक 04.05.2025 को नरायनपुर बाजार के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 29.04.2025 को थाना मेंहदावल पर वादी की बहन के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 29.04.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरि0उ0नि0 श्री हरिनारायण दीक्षित, उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0का0 मोतीलाल यादव।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 03 अभियुक्तो को चोरी के 01 अदद बकरे, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल व 02 अदद मोबाइल फोन के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के रोकथाम हेतु थानाध्यक्ष थाना बेलहरकला ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण नाम पता 01- विरेन्द्र पासवान पुत्र राम अजोर 02- इन्दल लोध पुत्र रामकिशुन 03- अनिल पासवान पुत्र रामवृक्ष निवासीगण डिगेश्वरनाथ (डिघवा) थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को राजेबोहा में 01 अदद चोरी का बकरा, 02 अदद मोबाइल व चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल (रजि0नं0 यू0पी058एएफ6638) के साथ गिरफ्तार किया गया।

वादी विदेशी पुत्र मंगरु निवासी राजेबोहा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा बताया गया कि घर के पीछे घास चरते समय उनके बकरे को उक्त अभियुक्तों द्वारा चोरी कर मोटरसाइकिल पर लाद कर भागते समय ग्रामवासियों के सहयोग से पकड़कर थाना बेलहरकला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया ।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 108/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01- विरेन्द्र पासवान पुत्र राम अजोर निवासी डिगेश्वरनाथ (डिघवा) थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।

02-इन्दल लोध पुत्र रामकिशुन निवासी डिगेश्वरनाथ (डिघवा) थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।

03- अनिल पासवान पुत्र रामवृक्ष निवासी डिगेश्वरनाथ (डिघवा) थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 137 वाहनों से 1,50,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 137 वाहनों से 1,50,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।